प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–26.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **27 वाहनों से मु0– 5700 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियानः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में अलग–अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़–भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 10 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–01 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

04 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 25.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. चन्द्रभान पुत्र किशोरे नि0 गनेशपुर ग्रण्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–159/19, 02. अख्तर पुत्र अनवर अली नि0 पुरैन मौजा चमारूपुर थाना उतरौला जनपद बलरामपुर के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–160/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना परसपुंर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जानकी प्रसाद पुत्र रामेश्वर नि0 खैरा बृन्दावन थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–119/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 07 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

मोटरसाइकिल चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार, बाइक बरामद–

गोण्डा। शुक्रवार जनपद के थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मोटर साइकिल चोरी करने के आरोपी अभियुक्त – कुलदीप कुमार गौतम पुत्र शान्ति प्रसाद नि0 बरेलिया घाट नई बस्ती पवरन पुरवा थाना जरवल रोड जनपद बहराइच को थाना को0 नगर पर पंजीकृत जनपद गोण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0– 234/19 धारा–379.411 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 21.03.2019 को वादी मनोज कुमार सिंह पुत्र सकल राज सिंह निवासी 96 आवास विकास कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा की बाइक स्पेलण्डर प्रो यू0पी0 43 डब्लू 1274 को आवास विकास कालोनी से चोरी हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को0 नगर में वादी द्वारा अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें को0 नगर पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.04.2019 को प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर मनकापुर बस अड्डे से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार –

गोण्डा। शुक्रवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा दहेज हत्या के आरोपी पति– लल्लन उर्फ मुकेश गोस्वामी पुत्र राधेश्याम निवासी टेढी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 95/19 धारा 498ए,304बी, 302 भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

दिनाक 16.04.2019 को उक्त अभियुक्त द्वारा दहेज की लालच में अपनी पत्नी कमलेश कुमारी को मार–पीट कर फॉसी लगा कर हत्या कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में मृतका के भाई सर्वेश गिरी पुत्र रामभजन निवासी पहॅुच कटरा मौजा जलालपुर थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जुआ खेलते 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. सुरेन्द्र उर्फ दरोगा पुत्र राम प्रसाद नि0 बडगॉव थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र स्व0 आसोर नि0 रानी बाजार थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01.मु0अ0सं0– 319/19 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामगदी–

01. 52 तास के पत्ते।
02. 400 रूपया नगद।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 25.01.2019 को सायः 17:42 बजे मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति बडगॉव पुल के नीचे जुआ खेल रहे है। उक्त मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर उ0नि0 गौरव सिंह मय हमराह फोर्स के साथ वहॉ पहॅुचकर उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 400 रूपये बरामद कर थाना को0 नगर पर 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया हैं।